इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 591]　　भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 नवम्बर 2010—अग्रहायण 2, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर, 2010

क्र. 24627-वि.स.विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०१०

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, २०१०

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०१० है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १३ सन् १९८४) की धारा २ में, खण्ड (च) में, शब्द तथा कोष्ठक ''चक्राकार आरा (कटर), जिसका व्यास (डायमीटर्स), बारह इंच से अधिक न हो,'' का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १३ सन् १९८४) में उपबंधित ''आरा मिल'' की परिभाषा में चक्राकार आरा (कटर), जिसका व्यास (डायमीटर्स), बारह इंच से अधिक न हो, सम्मिलित नहीं है. यह तकनीकी त्रुटि अवैध रूप से काटी गई काष्ठ के रूपान्तरण में ऐसे आरा (कटर्स) के उपयोग को बढ़ावा देती है. काष्ठ की अवैध कटाई को रोकने की दृष्टि से ''आरा मिल'' की परिभाषा को यथोचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ९ नवम्बर, २०१०.

सरताज सिंह
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 603]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 नवम्बर 2010—अग्रहायण 3, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. 7027-377-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24, सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 24 of 2010.

THE MADHYA PRADESH KASHTHA CHIRAN (VINIYAMAN) SANSHODHAN VIDHEYAK, 2010.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh **Kashtha Chiran (Viniyaman)** Sanshodhan Adhiniyam, 2010.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), in clause (f), the words and bracket " circular saw (cutter) the diameters of which is not more than twelve inches" shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Circular saw (cutter) the diameters of which is not more than twelve inches, is not included in the definition of "saw mill" provided in the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984). This technical shortcoming leads to use of such cutters in conversion of illegally cutted timber. In order to check the illegal cutting of timber, it is decided to amend the definition of "saw mill" suitably.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 19th November, 2010.

SARTAJ SINGH
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.